न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 223/2022

अनवान मुकदमा –

1. धर्मपाल पुत्र पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. रविकिरण पुत्र पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र रामरख जाति बिश्नोई साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- - प्रतिवादी

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता --- वादीगण
2. श्री नवीन जैन अधिवक्ता --- प्रतिवादी

–:: निर्णय :–

दिनांक –14/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में है। जहां तक दावा हाजा का सम्बंध है सजरा खानदान पेश किया गया है।

प्रतिवादी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 71/64 के प.नं. 46/275 (1) किला नं. 17 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 2.277 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्नं वाद पत्र किया गया है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं.1 को अपने पिता रामरख से प्राप्त हुई है जो वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं.1 जो कि वादीगण के पिता है। प्रतिवादी सं.1 के वादीगण के अलावा अन्य कोई पुत्र पुत्री सन्तान नही है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी सं.1 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ है व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं.1 को प्राप्त हुआ है। वादीगण अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु वादीगण को प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये वादीगण घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

घोषित किया जावे कि प्रतिवादी सं.1 के नाम वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 71/64 के प.

14.06.2022
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नं. 46/275 (1) किला नं. 17 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 2.277 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में वादीगण 1/3 – 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादी की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 71/64 के प.नं. 46/275 (1) किला नं. 17 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 2.277 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में वादीगण 1/3 – 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

14.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:40
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस
मुकदमा संख्या :- 223/2022
अनवान मुकदमा –

1. धर्मपाल पुत्र पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. रविकिरण पुत्र पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र रामरख जाति बिश्नोई साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- - प्रतिवादी

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :-

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 14/06/2022

वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा, एडवोकेट एवं प्रतिवादी की ओर से श्री नवीन जैन, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 71/64 के प.नं. 46/275 (1) किला नं. 17 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 2.277 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में वादीगण 1/3 - 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 14/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:09:40 IST
Reason: SelfAttested

14.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा